(d) whether Government propose to arrange import of dry fruits entirely through the state Agencies.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE). (a) to (d) Dry fruits-excluding dates, are imported into India from Afghanistan and Iran only During the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71, our imports of dry fruits from these countries were of the order of 14,856 tonnes, 13,370 tonnes and 9,918 tonnes, respectively

At present imports of dry fruits are made by the private trade except for an allocation made to the National Cooperative Consumers Federation The question of canalising import of dry fruits through Public Sector Undertakings has been under active considera tion of the Government A decision in this regard will be taken in the near future

PROGRESS OF CONSTRUCTION OF SLUICE GATE CUM BRIDGE OVER RIVER KHIROI DARBHANGA IN BIHAR

1385 SHRI BHOGENDRA JHA Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state whether the proposals for constructing Sluice-Gate *cum*-Bridge over river Khiroi between villges Hariharpur Kaligaon (in Singhbara block) and near Muraitha (in Jalev block) in the District of Darbhanga in Bihar have been pending for long and if so the latest position of the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N KURELL) Hydrological observations for the preparation of the scheme are still being carried out by the Bihar State Government and these are to be continued during the ensuing monsoon The scheme is to be formulated after the investigations are completed

PAYMENT TO TEACHERS IN DELHI ENGAGED FOR CORRECTION OF VOTERS LISTS

1386. SHRI AMBESH : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 201 on the 16th November, 1971 and State :

(a) whether honorarium of many teachers, engaged on correcting the voters' lists in Delhi, has still not been paid though their work has not been found unsatisfactory; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY): (a) and (b) As stated in the reply to Unstarred Question No 201 on the 16th November, 1971, payment of honorarium to some teachers in respect of revision of electoral rolls had been withheld pending further examination. The matter has been referred to the Chief Electoral Officer, Delhi, on receipt of whose reply a final decision will be taken by Government

दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि करने के लिए लगाये गये अध्यापकों के मानदेय (आनरेरियम) का रोका जाना

1387. श्री अम्बेश : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली के अध्यापको को मतदाता सूचियो में शुद्धि करने के काम पर तीन दिन तक लगाया गया था ;

(ख) क्या कुछ अध्यापको द्वारा किया गया कार्य सतोषजनक नही पाया गया; और

(ग) यदि हा, तो उक्त विद्यालय के सभी अध्यापको का मानदेय (आनरेरियम) रोकने के क्या कारण है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली के अध्यापक अन्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों के अध्यापकों के साथ दिल्ली में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एक सप्ताह के लिए नियुक्त किए गए थे। चूंकि कुछ मामलों में काम बहुत ही असंतोषजनक ढंग से किया गया था और इस कारण कई क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगाकर निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कराना पड़ा, जिसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ा जो बचाया जा सकता था, इसलिए मामले की और आगे जांच करने तक मानदेय का भुगतान रोक दिया गया। मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को निर्दिष्ट कर दिया गया है, जिसका उत्तर प्राप्त होने पर सरकार द्वारा अंतिम विनिश्चय किया जाएगा।

रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

1388. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के (ख) तथा (ग) भागों में अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना को कब तक सभा-पटल पर रखे जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). (i) पश्चिम रेलवे पर अनुसूचित जाति का केवल एक व्यक्ति प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है।

(ii) रेलवे शिक्षा संस्थाओं में प्रिंसिपल के पद तीसरी श्रेणी के पद थे जिन्हें अब राजपत्रित संवर्ग में कर दिया गया है। निर्मित भर्ती नियमों के अनुसार ये पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है। सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित कोटे का ध्यान रखा जायेगा।

रेलवे स्कूलों/कॉलिजों में अनुसूचित जन जातियों के लोगों की प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति

1389. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री रेलवे के स्कूलों और कालेजों में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न जोन को छोड़कर किसी भी जोन में अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी प्रधानाचार्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पदों पर इन जातियों के लोगों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्रवाही की जा रही है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पश्चिम रेलवे पर अनुसूचित जाति का केवल एक व्यक्ति प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है।

(ख) ये पद, जो श्रेणी तीन के पद थे, अब राजपत्रित संवर्ग में कर दिये गये हैं। निर्मित भर्ती नियमों के अनुसार ये पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और ऐसा न होने पर सीधी